न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 121/2005/223 आर टी ए

1. सहीराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हेतराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मनीराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. हनुमान प्रसाद पुत्र बंशी लाल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. मनीराम पि0मु0 पेमाराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगमालसिंह पुत्र बालूसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुखराम पुत्र मगलाराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. दौलतराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. रामदयाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. दईराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. हेतराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. हजारी पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. किशन पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. ओमप्रकाश पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. प्रेमकुमार पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. प्रेमा पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. माया पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. कलावती पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. हरीराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 05.09.05 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
प्र0सं0 16/2000 अनवानी मनीराम बनाम सरकार

उपस्थित :–
श्री इन्द्राज गोदरा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16

निर्णय दिनांकः–14.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 91 व 92 आरटीए पेश किया कि आराजी प.न. 120/210 कि.न. 1 ता 5, प.न. 121/210 कि.न. 1, 2, चक 5 केकेडब्ल्यू अन्य आराजी के अलावा वादी/रेस्पो0 सं. 1 के नाम अन्य हिस्सेदारो के साथ सांझे तौर पर

दर्ज है। उक्त भूमि वादी/रेस्पो0 सं. 1 को घरू तौर पर प्राप्त हुई है, उक्त भूमि मे कभी रास्ता का इन्द्राज नही था व न ही पडौसी काश्तकारो को रास्ते की आवश्यकता थी लेकिन सैटलमेंट विभाग ने रास्ते का अंकन कर दिया जो पूर्णतया शून्य है। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त आराजी मे रास्ता चालू कराने की धमकी दे रहा है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा वादी पाने का अधिकारी है। जिसमे अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 2 ने जवाबदावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 2 दोनो का निर्णय इकजाई वादी के पक्ष मे पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो स्पष्ट है कि चक 5 केकेडब्ल्यू प.न. 120/210 कि.न. 1 ता 5 व प.न. 121/210 कि.न. 1 व 2 मे 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता था तथा विचारण न्यायालय ने भी उकत तनकीयो के निर्णय मे माना है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त किलो मे गै.मु. 0.025 के अलावा 0.026 है0 खाला का अंकन किया गया तथा भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये अंकन को सही व विधि सम्मत ना मानते हुए उक्त तनकीयात मे निर्णय मे पारित किया है। प्रश्नगत मंजूरशुदा रास्ता अवरूद्ध होने से अपीलांट को अपनी कृषि भूमि आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न होगी। रास्ता की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वादी को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआडी 2017 पेज 253 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मे भू–प्रबन्ध से पूर्व कभी भी रास्ता नही था। भूप्रबन्ध अधिकारियों ने बिना सुनवायी का मौका दिये वादग्रस्त आराजी मे रास्ता का अंकन कर दिया। जबकि भूप्रबन्ध विभाग को बिना आधार के साबिका रिकार्ड मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। भूप्रबन्ध विभाग के उक्त गलत अंकन को दुरूस्त करने बाबत रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे जवाबदावा प्रस्तुत होने के उपरांत वाद मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जरिये वाद स्वीकार किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि जमाबंदी सम्वत 2022–2025 मे रास्ता का अंकन नही है। जमाबंदी सम्वत 2018–2021 मे प.न. 120/210 कि.न. 1, 2, 3, प.न. 120/21 कि.न. 1 व 2 मे प्रत्येक मे 18–18 बिस्वा भूमि कमाण्ड दर्ज है लेकिन खतौनी जमाबंदी भूप्रबन्ध सम्वत 2039–42 मे प.न. 121/210 कि.न. 1, 2, प.न. 120/210 कि.न. 1, 2, 3, 4, 5 मे 0.202 है0 नहरी, 0.026 है0 खाला व 0.025 है0 रास्ता प्रत्येक किला नम्बर मे दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि भूप्रबन्ध से पूर्व उक्त किला नम्बर मे 0.228 है0 आराजी कमाण्ड थी लेकिन भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 0.202 है0 आराजी कमाण्ड रखी है व 0.026 है0 आराजी गैर मुमकिन बिना आधार के दर्ज कर दी गयी, भूप्रबन्ध विभाग को बिना आधार के साबिका रिकार्ड मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। इसलिऐ उक्त अंकन निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी को अपनी आराजी मे जाने के लिए अलग से भी रास्ता स्वीकृत है। चूंकि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा चक 5 केकेडब्ल्यू के प.न. 120/210 कि.न. 1 ता 5, प.

न. 121/210 कि.न. 1 व 2 मे 0.051 गै.मु. दर्ज की है जबकि भूप्रबन्ध विभाग से पूर्व उक्त आराजी मे 0.025 है0 प्रत्येक किला मे गैर मुमकिन दर्ज थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये गलत अंकन को दुरूस्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र डिक्री किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुरूस्त की गयी की गई भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग की है। चूंकि भूमि उपनिवेशन क्षेत्र की है जिसमे राजस्थान कॉलोनाईजेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत सामान्य उपनिवेशन शर्त 8 (2) के प्रावधानो के अनुसार सार्वजनिक/सरकारी प्रयोजन हेतु खाला व रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। अपीलांट द्वारा चाहे तो रास्ता की स्वीकृति हेतु उक्त शर्त 8 (2) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2005 को यथावत रखा जाता है। अपीलांट रास्ता की स्वीकृति हेतु राजस्थान कॉलोनाईजेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत सामान्य उपनिवेशन शर्त 8 (2) के अन्तर्गत संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 121/2005/223 आर टी ए

1. सहीराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हेतराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मनीराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. हनुमान प्रसाद पुत्र बंशी लाल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. मनीराम पि0मु0 पेमाराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगमालसिंह पुत्र बालूसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुखराम पुत्र मगलाराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. दौलतराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. रामदयाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. दईराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. हेतराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. हजारी पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. किशन पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. ओमप्रकाश पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. प्रेमकुमार पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. प्रेमा पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. माया पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. कलावती पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. हरीराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 05.09.05 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
प्र0सं0 16/2000 अनवानी मनीराम बनाम सरकार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदरा अधिवक्ता अपीलांटस, श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

रेस्पो0 सं. 16 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2005 को यथावत रखा जाता है। अपीलांट रास्ता की स्वीकृति हेतु राजस्थान कॉलोनाईजेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत सामान्य उपनिवेशन शर्त 8 (2) के अन्तर्गत संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.12.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ